भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1774

जिसका उत्तर मंगलवार, 4 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

1774. डा अनिल सुखदेवराव बोंडे:
श्री राजिन्दर गुप्ता:
श्री मनन कुमार मिश्र:
श्री सुभाष बराला:
श्री रायगा कृष्णैया:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली लागू की है;
(ख) यदि हां, तो उर्वरक खुदरा बिक्री केंद्रों पर स्थापित पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों की संख्या सहित, इसके कार्यान्वयन एवं कवरेज का ब्यौरा क्या है;
(ग) सब्सिडीयुक्त उर्वरकों के अन्यत्र उपयोग पर रोक लगाने तथा वास्तविक किसानों को उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में डीबीटी प्रणाली किस प्रकार सहायक रही है;
(घ) क्या सरकार का प्रौद्योगिकीय अंत:क्षेपों तथा वास्तविक समय निगरानी तंत्र के माध्यम से उर्वरक वितरण के डिजिटल पारितंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने का विचार है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी हां। उर्वरक विभाग ने अखिल भारतीय स्तर पर उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) लागू किया है, जिसके तहत सब्सिडी वाले उर्वरकों को आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से किफायती मूल्य पर लाभार्थी को बेचा जाता है।

(ख): वर्ष 2025-26 के दौरान, उर्वरकों में डीबीटी के कार्यान्वयन तहत लगभग 2.87 लाख सक्रिय खुदरा विक्रेताओं के अखिल भारतीय नेटवर्क के माध्यम से 8.4 करोड़ लाभार्थी किसानों को 746.57 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) की कुल बिक्री की गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 2.17 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी का भुगतान किया गया है। पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों की राज्य-वार, जिला-वार सूची **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

(ग): उर्वरकों में बिक्री के लिए डीबीटी प्रणाली के तहत, सब्सिडी युक्त उर्वरकों की बिक्री लाभार्थी के 100% आधार आधारित प्रमाणीकरण द्वारा की जाती है। इसके अलावा, तेलंगाना और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर उर्वरकों के समान वितरण के लिए प्रति खरीदार प्रति माह 50 बोरी की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है, जबकि तेलंगाना के लिए प्रति मौसम प्रति खरीददार प्रति एकड़ 2 बोरियों (केवल यूरिया के लिए) तथा जम्मू और कश्मीर के लिए प्रति खरीदार प्रति मौसम 60 बोरी की उच्चतम सीमा है। खरीद के आधार पर, संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा निगरानी के लिए आईएफएमएस डैशबोर्ड पर विभिन्न रिपोर्टें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, 20 राज्यों के 40 चिन्हित जिलों में 'उर्वरक बिक्री के लिए रूपरेखा' के तहत, उर्वरक को भूमि क्षेत्र और बोई गई फसल के आधार पर आवश्यकता के अनुसार राज्यों की सामान्य उर्वरक सिफारिश (जीएफआर) के अनुसार चिह्नित किसान को बेचा जा रहा है। संबंधित राज्यों द्वारा तय किए गए 'उर्वरक बिक्री के लिए रूपरेखा' के अंतर्गत पायलट जिलों में बोरियों की सख्या की उच्चतम सीमा अलग-अलग है।

(घ) और (ङ): उर्वरक विभाग, भारत सरकार और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने संयुक्त रूप से राज्यों की सहमति से एक नई डिजिटल प्रणाली 'उर्वरक बिक्री के लिए फ्रेमवर्क' विकसित और लॉन्च की है, जो वर्तमान में असमान रूप से प्रायोगिक रीति (पायलट मोड) में है, जिसका उद्देश्य उर्वरक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित, किसान केंद्रित, भूमि और फसल डेटा एकीकृत और मांग संचालित बनाना है। इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, किसान या उनके अधिकृत प्रतिनिधि एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पंजीकरण करते हैं और उर्वरक आवश्यकताओं की अग्रिम बुकिंग (पूर्व-बुकिंग) के लिए भूमि और फसल से संबंधित विवरण दर्ज करते हैं। उर्वरकों की सफल बुकिंग पर, क्यूआर कोड-आधारित टोकन उत्पन्न होता है। यह क्यूआर कोड खरीदार के आने पर पीओएस डिवाइस में उर्वरक खुदरा विक्रेता द्वारा स्कैन किया जाता है, और क्रेता के आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। इस पहल का प्रयोग (पायलट) 23 राज्यों के 56 जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। पायलट का राज्य-वार और जिला-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

इसके अलावा, एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) देश भर में उर्वरक संचलन की वास्तविक समय निगरानी और प्रबंधन के लिए विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्रणाली के तहत, उर्वरक प्रेषण, आवंटन, रेक प्लेसमेंट, स्टॉक स्थिति और राज्य-वार आपूर्ति स्थिति की वास्तविक समय निगरानी संबंधित राज्यों और हितधारकों द्वारा की जाती है।

अनुलग्नक-I

यह अनुलग्नक 04.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.1774 के उत्तर के भाग (ख) से संबंधित है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	संचालनरत पीओएस उपकरणों की संख्या	गैर-संचालनरत पीओएस उपकरणों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	49	0
2	आंध्र प्रदेश	14006	3415
3	अरुणाचल प्रदेश	9	0
4	असम	5772	622
5	बिहार	30176	3064
6	छत्तीसगढ	5688	773
7	दादरा और नगर हवेली	2	0
8	दिल्ली	50	2
9	गोवा	32	1
10	गुजरात	8729	850
11	हरियाणा	8091	676
12	हिमाचल प्रदेश	1519	149
13	जम्मू और कश्मीर	4239	686
14	झारखंड	4462	478
15	कर्नाटक	12100	1191
16	केरल	2537	117
17	मध्य प्रदेश	12783	1581
18	महाराष्ट्र	28097	2767
19	मणिपुर	33	1
20	मेघालय	49	1
21	मिजोरम	7	4
22	नागालैंड	4	0
23	ओडिशा	8155	1592
24	पुद्दुचेरी	64	7
25	पंजाब	8713	637
26	राजस्थान	14609	1599
27	तमिलनाडु	12398	651
28	तेलंगाना	11525	1188
29	त्रिपुरा	603	51
30	उत्तर प्रदेश	69010	7915
31	उत्तराखंड	1086	91
32	पश्चिम बंगाल	21111	1467
	सकल योग	**285708**	**31576**

अनुलग्नक-II

यह अनुलग्नक 04.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.1774 के उत्तर के भाग (घ) से संबंधित है।

एफएफएस प्रयोग के तहत रोलआउट राज्यों की सूची				
क्र.सं.	**राज्य**	**पायलट जिला 1**	**पायलट जिला 2**	**प्रारम्भ की तारीख**
1	तेलंगाना	मेडचाल	रंगारेड्डी	04.06.2026
2	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	छत्रपति संभाजी नगर	05.06.2026
3	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	कृष्णा	12.06.2026
4	असम	बोंगईगांव	नलबाड़ी	15.06.2026
5	गुजरात	नवसारी	साबरकांठा	15.06.2026
6	उत्तर प्रदेश	रामपुर	सीतापुर	15.06.2026
7	बिहार	वैशाली	शेखपुरा	18.06.2026
8	उत्तराखंड	चम्पावत	उत्तरकाशी	23.06.2026
9	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	गोमती	23.06.2026
10	कर्नाटक	चित्रदुर्ग	तुमकुर	25.06.2026
11	राजस्थान	राजसमंद	सिरोही	25.06.2026
12	केरल	पलक्कड़	अलाप्पुझा	30.06.2026
13	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	कुल्लू	02.07.2026
14	मिजोरम	आइजोल	कोलासिब	02.07.2026
15	ओडिशा	झारसुगुडा	कंधमाल	06.07.2026
16	मणिपुर	इम्फाल पूर्व	थौबल	07.07.2026
17	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	री भोई	07.07.2026
18	छत्तीसगढ	बीजापुर	गरियाबंद	07.07.2026
19	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	दक्षिण अंडमान	उत्तर एवं मध्य अंडमान	10.07.2026
20	गोवा	दक्षिण गोवा	उत्तरी गोवा	14.07.2026
21	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	श्रीनगर	28.07.2026
22	अरुणाचल प्रदेश	लोहित	निचली दिबांग घाटी	28.07.2026
23	असम	12 जिले नामत: धेमाजी, गोलाघाट, बारपेटा, कामरूप मेट्रो, मोरीगांव, दर्रांग, माजुल्ली, लखीमपुर, नागांव, कामरूप ग्रामीण, गोलपारा और होजई		31.07.2026
